

FROM No. -III
फर्द अहकाम
(नियम-28)अज अदालत सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट भोजरास

रामस्वरूप पिता मांगी लाल ब्राह्मण निवासी बनाम काना उर्फ कन्हैया लाल पिता मांगी लाल ब्राह्मण
आपलियास निवासी आपलियास

किस्म मुकदमा-वाद पत्र अन्तर्गत धारा- 53 रा.टी. ए.

प्रकरण संख्या- 297 / 2012

तारीख हुक्म

हुक्म या काय

12.06.2017

पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट भोजरास में पेश हुई वकील वादी उपस्थित वकील प्रतिवादी अनुपस्थित । न्यायालय हाजा के प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.06.2015 की पालना हेतु तहसीलदार हुरडा को लिखा जाने पर तहसीलदार हुरडा के द्वारा विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्र क्रमांक राजस्व/2016/दिनांक 12.06.2017 से प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है ।

1- रोडी बेवा मांगी लाल , कन्हैया लाल , रामनारायण, रामचन्द्र पिता मांगी लाल ब्राह्मण साकिन देह रहन बी. ओ. बी. शाखा रूपाहेली हिस्सा कन्हैया लाल , रामनारायण , रामचन्द्र का :-

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
आपलियाय	319	01 बीघा	
	401	11 बिस्वा	
	404	17 बिस्वा	
	407	14 बिस्वा	
	412	01 बीघा 10 बिस्वा	
	580	18 बिस्वा	
	586	5 बीघा 16 बिस्वा	
	440/402	14 बिस्वा	
	642/403	01 बीघा	
	646/565	03 बीघा 07 बिस्वा	
	647/589	01 बीघा 14 बिस्वा	
किता 11		18 बीघा 01 बिस्वा	49.68

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीमराज

2- रामस्वरूप पिता मांगी लाल ब्राह्मण साकिन देह रहन बी. ओ. बी. शाखा रूपाहेली -

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
आपलियास	319/1	06 बिस्वा	
	791/401	03 बिस्वा	
	404/1	04 बिस्वा	
	407/1	03 बिस्वा	
	412/	08 बिस्वा	
	792/580	04 बिस्वा	
	586/	01 बीघा 09 बिस्वा	
	793/402	03 बिस्वा	
	794/403	05 बिस्वा	
	795/565	17 बिस्वा	
	796/589	08 बिस्वा	
किता 11		04 बीघा 10 बिस्वा	11.89

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया वक्त यहस वकील वादी ने कथन किया कि तहसीलदार हुरडा के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है वह मुताबिक निर्णय अनुसार तैयार किया गया है । जो स्वीकार फरमाया जावे ।



मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया । तदनुसार तहसीलदार हुरडा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है । तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिक्री पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । गत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 12.06.2017 को खुली लोक अदालत मे सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुर
जिला-भीरभद्रा

